

दिनांक 08.10.2020 सीएस (एमए) लाभार्थियों को ओपीडी दवाओं की प्रतिपूर्ति: दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक कोविड-19 के मद्देनजर विशेष स्वीकृति

फ़ाइल नं. एस11011/12/2020-ईएचएस

एस11011/12/2020-ईएचएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(ईएसएस अनुभाग)

निर्माण विभाग, नई दिल्ली

दिनांक अक्टूबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सीएस (एमए) लाभार्थियों की ओपीडी दवाओं की प्रतिपूर्ति: कोविड-19 के मद्देनजर विशेष स्वीकृति के संबंध में।

पूर्व कार्यालय ज्ञापन के क्रम में दिनांक 1 अप्रैल, 5 मई, 2020, 2020, 3 जून, 2020 और 3 सितंबर, 2020 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30.09.2020 तक विस्तारित अवधि को 31.12.2020 तक आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है। दिनांक 1 अप्रैल 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित नियम और शर्तें वही रहेंगे।

इसे IFD C>D क्रमांक 1603, दिनांक 08.10.2020 की सहमति से जारी किया जाता है।

वैधता अज्ञात

राजीव अत्री द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

भारत सरकार के उप-सचिव

समस्त

1. सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
2. सचिव, राष्ट्रीय परिषद की जेसीएम
3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी प्रभाग/अनुभाग

4. अधिकारी आदेश फाइल

प्रतिलिपि :

1. माननीय एचएफएम के पीएस
2. माननीय राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. सचिव, एचएफडब्ल्यू के पीपीएस